उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4
संख्या-13/2018/1977/71-4-2018-26 रिट/2018
लखनऊः दिनांक 06 नवम्बर, 2018
कार्यालय ज्ञाप

रिट याचिका संख्या-26470 (एम0/एस0)/2018 श्री राममूर्ति स्मारक ट्रस्ट, बरेली व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-27748 (एम0/एस0)/2018 केशलता कालेज आफ नर्सिंग, बरेली बनाम राज्य व अन्य में याचीगण द्वारा उक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय से निम्नलिखित अनुतोष की मांग की गयी थी:-

(1) To issue a writ. order or direction in the nature of mandamus commanding State of U.P/OP NO. 1 to constitute Selection Committee as provided in paragraph 23 of the resolution issued by Indian Nursing Council in exercise of powers under Section 16 of the '' The Indian Nursing Council Act, 1947'' for Single Window system for admission to all nursing courses situated in the state of Uttar Pradesh.
(2) To issue a writ. order or direction in the nature of mandamus commanding State of U.P/OP NO. 1 and University /OP NO. 4, to allow the petitioner institution to fill up the vacant seats in Bsc Nursing Course against the sanctioned intake for academic session 2018-19, on the basis of the admission criteria as provided in Paragraph 22 of the resolution issured by Indian Nursing Council in exercise of powers under Section 16 of the '' The Indian Nursing Council Act, 1947'' as well circular dated 21-09-2015 issued by The Indian Nursing Council by calling eligible candidates by issuing appropriate adevertisements.
(3) issue any other writ, or direction as this Hon´ble Court may deem fit and paper in the facts and circumstances of the case, and
(4) award the costs of the writ petition to the petitioners.

2- उक्त रिट याचिकाओं में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रतिपक्षी संख्या-1 बनाया गया था। दिनांक 11.10.2018 को प्रश्नगत रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को इम्पलीड करते हुए प्रतिपक्षी संख्या-7 बनाया गया तथा दिनांक 23.10.2018 तक प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिये गये। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2018 के अनुपालन में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2018 को उपस्थित हुए।

3- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिकाओं की विस्तृत सुनवाई करते हुए दिनांक 30.10.2018 को निम्नवत आदेश पारित किया गया:-

"Sri Rajnish Dubey, Principal Secretary, Medical Education, Govt. of U.P. Lucknow, who is present in person in court, submits that the state government would take a decision in such matters and issue advisory to the universities that such large numbered seats are not left vacant and are duly filled up.

In view of the aforesaid statement of the Principal Secretary, Medical Education, the petitioners are permitted to approach the Principal Secretary, Medical Education by 02-11-2018, annexing therewith a certified copy of this order as well as copy of the present writ petition, by way of a representation. In case, such a representation is made by the petitioners, the Principal Secretary, Medical Education,Govt. of U.P., Lucknow shall expeditiously dispose of the same preferably by 10-11-2018.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Sri K.D.Nag, learned counsel for the respondent university also agrees that university would take suggestions by the state government and do their best to fill up the vacant seats.

In view of aforesaid, present writ petition is disposed of."

4- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में अध्यक्ष, श्री राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट, बरेली तथा अध्यक्ष, केशलता कालेज आफ नर्सिंग, बरेली द्वारा दिनांक 31.10.2018 को अपना प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया, जो कि प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यालय में दिनांक 01.11.2018 को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रत्यावेदन में याचीगण द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किया गया है :-

''इण्डियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, 1947 के सेक्शन-16 के अन्तर्गत पारित रिजोल्यूशन के दृष्टिगत नर्सिंग पाठ्यक्रमों की सीटों के भरे जाने के सम्बन्ध में उपयुक्त आदेश पारित किये जायें।''

5- उक्त के अतिरिक्त याचीगण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए केन्द्रीकृत व्यवस्था लागू किये जाने के साथ ही साथ प्रदेश के सभी सरकारी व निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रवेश के लिए एक सेलेक्शन कमेटी का गठन राज्य सरकार द्वारा किये जाने सम्बन्धी अनुतोष का अनुरोध किया गया है एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की रिक्त सीटों को भरे जाने हेतु निर्देश निर्गत किये जाने का भी अनुरोध किया गया है। महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रारम्भ की गयी प्रवेश परीक्षा पर भी आपत्ति व्यक्त की गयी है तथा पूर्व के वर्षों की भांति अथवा अन्य विश्वविद्यालयों की भांति प्रवेश की कार्यवाही केवल मेरिट के आधार पर किये जाने का भी अनुतोष मांगा गया है।

6- याचीगण द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन एवं मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका में किये गये अनुतोष के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि ''चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-4447/71-3-05-141/96/05, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 द्वारा निजी क्षेत्र में स्नातक स्तरीय पैरा मेडिकल प्रशिक्षण के संचालन हेतु अनापत्ति/अनुमति प्रदान किये जाने हेतु मा0 मंत्रि-परिषद के निर्णय से नीति निर्धारण किया गया है। शासनादेश में स्पष्ट व्यवस्था है कि ''अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा सम्बन्धित काउंसिल पाठ्यक्रम के बारे में निर्धारित मानकों की पूर्ति हेतु निरीक्षण के उपरान्त प्रदेश शासन/भारत सरकार स्तर पर विचारोपरान्त सम्बन्धित पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। शासनादेश में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि निजी क्षेत्र में स्नातक स्तर पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में सम्बद्धता विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जायेगी तथा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में डिग्री भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जायेगी।'' इसी व्यवस्था के क्रम में वर्तमान में नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया अपनायी जा रही है। उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों संस्थाओं में बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु दी गयी अनिवार्यता/अनापत्ति इस शर्त के अधीन प्रदान की गयी थी कि संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों, मानकों एवं चयन प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि संस्था द्वारा राज्य सरकार/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/सम्बन्धित विश्वविद्यालय के किसी भी दिशा-निर्देशों/मानकों का उल्लंघन किया जाता है, तो संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

यह भी उल्लेख करना है कि विश्वविद्यालय द्वारा बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम की सम्बद्धता विश्वविद्यालय के अपने नियमों तथा परिनियमों के अन्तर्गत दी जाती है, जिसके अन्तर्गत नामांकन की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं में संचालित बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही विकेन्द्रीकृत व्यवस्था

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के अन्तर्गत संतोषजनक तरीके से संचालित है। सामान्यतः उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिकांश विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित कर की जा रही है। कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा मेरिट के आधार पर अथवा सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश की अनुमति देते हुए विश्वविद्यालय को प्रवेश की सूचना दी जानी होती है। चूंकि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था (Autonomous Body) होते हैं, ऐसी स्थिति में प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालयों द्वारा अपने परिनियमों के तहत ही निर्धारित करते हुए पूर्ण की जाती है। इसके साथ ही चूंकि विकेन्द्रीकृत प्रवेश की प्रक्रिया प्रदेश में संतोषजनक तरीके से संचालित है, ऐसी दशा में केन्द्रीय सेलेक्शन कमेटी का गठन किया जाना आवश्यक नहीं है।

7- इण्डियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, 1947 के सेक्शन-16 के अन्तर्गत काउंसिल द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अब तक कोई नियमावली अथवा रेग्युलेशन निर्गत नहीं किया गया है। इण्डियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को प्रवेश की तिथि तथा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अर्हता के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये जाते हैं, जिनका सम्बन्धित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

8- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-26470(एम0/एस0)/2018 श्री राममूर्ति स्मारक ट्रस्ट, बरेली व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-27748 (एम0/एस0)/2018 केशलता कालेज आफ नर्सिंग, बरेली बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 30.10.2018 को पारित आदेश में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा यह सहमति व्यक्त की गयी है कि विश्वविद्यालय द्वारा रिक्त सीटों को भरे जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सुझाव प्राप्त किया जायेगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा रिक्त सीटों को भरे जाने के सम्बन्ध में प्रयास किया जायेगा। अतः रिट याचिका संख्या-26470(एम0/एस0)/2018 श्री राममूर्ति स्मारक ट्रस्ट, बरेली व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-27748 (एम0/एस0)/2018 केशलता कालेज आफ नर्सिंग, बरेली बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2018 के अनुपालन में याचीगण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदन दिनांक 31.10.2018 पर सम्यक विचारोपरान्त नर्सिंग के स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु शासनादेश संख्या-12/2018/1976/71- 4-2018-26 रिट/2018 दिनांक 06 नवम्बर, 2018 द्वारा विश्वविद्यालयों को मार्ग निर्देश (Advisory) निर्गत कर दिये गये हैं। इण्डियन नर्सिंग काउंसिल के पत्र दिनांक 23.07.2018 द्वारा बी0एस0सी0 नर्सिंग में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 30.11.2018 निर्धारित की गयी है, अतः महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा इस Advisory के परिप्रेक्ष्य में रिक्त सीटों पर अर्ह छात्रों का तदनुसार शीघ्र चयन सुनिश्चित करके निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाओं को उपलब्ध कराया जायेगा। इस आदेश के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल बरेली तथा सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-26470 (एम0/एस0)/2018 श्री राममूर्ति स्मारक ट्रस्ट, बरेली व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-27748 (एम0/एस0)/2018 केशलता कालेज आफ नर्सिंग, बरेली बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.10.2018 के अनुपालन में श्री राममूर्ति स्मारक ट्रस्ट, बरेली तथा केशलता कालेज आफ नर्सिंग, बरेली के प्रत्यावेदन दिनांक 31.10.2018 तद्नुसार निस्तारित किये जाते हैं।

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2018/1977(1)/71-4-2018-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
3. सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
4. रजिस्ट्रार, महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
5. अध्यक्ष, श्री राममूर्ति स्मारक ट्रस्ट, बरेली।
6. अध्यक्ष, केशलता कालेज आफ नर्सिंग, बरेली
7. सचिव, भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।